न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजगढ (म.प्र.)

क्र / 7845 / एस.डब्ल्यू / 2020 राजगढ दिनांक 22-7-20

।। आदेश ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्र. 40–3/2020–डीएम– ।(ए) दिनांक 30.05.2020 तथा गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 189/2020/सी–2 दिनांक 31.05.2020 एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 204/2020/सी–1 दिनांक 09.07.2020 एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 206/2020/सी–1 दिनांक 14.07.2020 एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 210/2020/सी–1 दिनांक 20.07.2020 में प्रदत्त निर्देशो के संदर्भ में मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ ,दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रसारित आदेश क्र./7635/एस.डब्ल्यू/2020/दिनांक 15.07.2020 में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ :–

1. वर्तमान में जिला स्तरीय कार्यालय सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य, केन्द्र सरकार तथा निजी कार्यालयों/निजी प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किये जावेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय जबतक अन्यथा स्थिति निर्मित नहीं होती है सामान्य रूप से खुले रहेंगे। कर्मचारी क्षमता का यह आदेश फेक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा।
2. जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू किया जाता है।
3. शासकीय या निजी संस्था में कोविड पाजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाना अनिवार्य होगा।
4. कोविड 19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं संदर्भित पत्रों द्वारा जारी शासन के दिशा–निर्देशों का उल्लघंन करने वाले यथा मास्क/फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों का शादी–विवाह/निजी कार्यक्रम/अत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
5. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है ।और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ (म.प्र.)

C:\Users\Lenovo\Desktop\corona\144 corona.docx

पृ.क्र. / 7846 / एस.डब्ल्यू. / 2020 राजगढ दिनांक 22/ 7 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक राजगढ की ओर प्रेषित कर लेख है कि, समस्त थाना प्रभारी को अपने स्तर से निर्देशित करें।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
7. तहसीलदार / ना.तहसीलदार / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग राजगढ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ (म.प्र.)